न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 222/2018

RCMS Case No. 2018/00287

प्रार्थी :– **बनाम** **अप्रार्थीः–**

सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर

1. छगनलाल पुत्र पुखराज
2. ओगडराम पुत्र रूपाराम
3. केसाराम पुत्र रूपाराम
4. शंकरलाल पुत्र रूपाराम
5. ओमप्रकाश पुत्र रूपाराम
6. श्यामलाल पुत्र चुन्नीलाल
7. नाथराम पुत्र चुन्नीलाल
8. शंकरलाल पुत्र चुन्नीलाल जातिगण माली निवासीगण रायपुर तहसील रायपुर

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

–:: आदेश ::–

दिनांक – 07.06.2018

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर कार्यवाही की जाती है। सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम रायपुर I तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 1287/109 रकबा 14.15 बीघा किस्म बा0दो0 की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है। उक्त इन्द्राज अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के पिता को आवंअन होने के पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 1104 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। इस भूमि कि किस्म गै0मु0 नदी थी, जिसका आवंटन नही किया जा सकता है। अतः ग्राम रायपुर के नामान्तरकरण संख्या 1104 को निरस्त कराने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम रायपुर I तहसील रायपुर के हाल खसरा नम्बर 1287/109 रकबा 14.15 बीघा किस्म बा0दो0 की भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 1287 गै0मु0 नदी है। उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन करने से नामान्तरकरण संख्या 1104 के जरिये आवंटी का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया गया है। चूंकि उक्त भूमि के मूल खसरा

अति. जिला कलेक्टर, पाली

नम्बर 1287 की किस्म गै0मु0 नदी थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत नदी/नाला/वाला आदि की भूमि आवंटन नियमन से प्रतिबन्धित है तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की अनुपालना में भी नदी/नाला/वाला की भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में हुआ आंवटन नियमो के अनुकूल नही कहा जा सकता है, साथ ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत हैं। माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में भूमि की पूर्व स्थिति को बहाल कर गै.मु. नदी दर्ज की जानी हैं। अतः उपखण्ड अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आंवटन तथा उक्त आवंटन की पालना में दायर किया गया नामान्तरकरण विधि के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रायपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित किए आवंटन एवं उसकी पालना भरे गये ग्राम रायपुर । तहसील रायपुर के नामान्तरकरण संख्या 1104 को निरस्त करावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति.जिला कलेक्टर,पाली